



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:54643-डीबी

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3487/2026

श्रीमती चंदा और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: विनोद कुमार यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, गणेश मणि, सुगंधा

यादव

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव, राज्य-प्रतिवादी 1, 2 और 3 के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गणेश मणि त्रिपाठी और प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश मणि त्रिपाठी को सुना।
- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दायर पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- हमने रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- याचिकाकर्ता श्रीमती चंदा और फूलदेव ने प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 गुड्डी देवी द्वारा दिनांक 07.06.2024 को दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देते हुए इस आपराधिक विविध रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में संपर्क किया है, जिसे पुलिस स्टेशन-गुलरीहा, जिला-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गोरखपुर में धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0479/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने एफआईआर को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया है कि रिकॉर्ड पर अब स्पष्ट हो चुके तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, दिनांक 07.06.2024 की एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। अतः, इस एफआईआर को न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता-1 श्रीमती चंदा (अभियोक्त्री) याचिकाकर्ता-2 फूलदेव से विवाह के समय नाबालिग थीं, फिर भी, चूंकि अभियोक्त्री ने याचिकाकर्ता-2 फूलदेव से विवाह संपन्न किया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित एफआईआर के आधार पर आपराधिक अभियोग को कायम नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि दूल्हा या दुल्हन निर्धारित आयु से कम हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह शून्य नहीं होगा, बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा रद्द किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोक्त्री यानी याचिकाकर्ता-1 ने याचिकाकर्ता-2 से अपने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-2 बालिग हैं, जो याचिकाकर्ता-2 के आधार कार्ड से स्पष्ट है। इसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में रिकॉर्ड में लाई गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को एक-दूसरे से प्रेम हो गया था, इसलिए प्रेम और आकर्षण के कारण उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दायर किए गए पूरक हलफनामे के पैराग्राफ-3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अब पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन न तो कानून के आधार पर और न ही तथ्यों के आधार पर उचित है। संदर्भ के लिए, पूरक हलफनामे का पैराग्राफ-3 नीचे दिया गया है:-

**अस्वीकरण:** "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



**“3. यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का विवाह गोरखपुर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों और सप्तपदी (सात चरणों) के अनुसार 05.02.2026 को आचार्य सुमित शुक्ला द्वारा संपन्न हुआ था। इस संबंध में आचार्य सुमित शुक्ला ने याचिकाकर्ताओं के विवाह का स्पष्टीकरण अपने लिखित रूप में दिया था। याचिकाकर्ताओं के विवाह स्पष्टीकरण की 05.02.2025 की फोटोकॉपी संलग्न की जा रही है और इसे इस हलफनामे के अनुलग्नक संख्या एस.ए.1 के रूप में चिह्नित किया गया है।”**

7. अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: (1) के. धंदापानी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056, (ii) माफत लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2022) 6 एससीसी 589 और (iii)। आपराधिक अपील संख्या 41/2024 (श्रीराम उराव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) का निर्णय 30.01.2025 को हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री से विवाह किया था और दूसरा, न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी 1, 2 और 3 के विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया है। हालांकि, वे इस स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों को खारिज नहीं कर सके।

9. दूसरी ओर, प्रथम सूचनाकर्ता-प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश मणि त्रिपाठी ने निवेदन किया है कि उन्हें इस रिट याचिका का विरोध न करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता-प्रतिवादी-4 की ओर से दायर संक्षिप्त प्रतिवाद हलफनामे की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और उक्त संक्षिप्त प्रतिवाद हलफनामे के पैराग्राफ 4, 5 और 6 का उल्लेख किया है। सुविधा के लिए, इन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

**“4. यह निवेदन किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/सूचनाकर्ता याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4/सूचनाकर्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को अपना दामाद स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने 07.02.2026 को अपना अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**



व्यक्तिगत हलफनामा दिया है। दिनांक 07.02.2026 के हलफनामे की एक सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है और इसे इस हलफनामे के अनुलग्नक संख्या सी.ए. 2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं का विवाह 05.02.2026 को मंदिर में दोनों परिवारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ और वे पति-पत्नी के रूप में सुखपूर्वक रह रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 4 को विवाह से कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को स्वीकार कर लिया है।

6. प्रतिवादी संख्या 4/प्रथम शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0479/2024, पुलिस स्टेशन गुलरीहा, जिला गोरखपुर की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और उसके द्वारा स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर इसे रद्द किया जाए।

10. उपरोक्त आधार पर, प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 ने अब याचिकाकर्ता-2 को अपना दामाद स्वीकार कर लिया है। इसलिए, ऐसी स्थिति में, यदि इस न्यायालय द्वारा संक्षिप्त प्रतिवाद के पैराग्राफ 4, 5 और 6 में किए गए कथनों के आलोक में वर्तमान रिट याचिका का निर्णय किया जाता है, तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी 1, 2 और 3 के विद्वान ए.जी.ए., प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विधिवत विवाह संपन्न किया है। यद्यपि अभियोक्त्री अर्थात् याचिकाकर्ता-1 विवाह की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु की थी, फिर भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता-1 का विवाह याचिकाकर्ता-2 का मामला शून्य नहीं होगा, लेकिन अन्य पक्षों के अनुरोध पर इसे रद्द किया जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि अभियोक्त्री याचिकाकर्ता-2 के साथ रहने लगी है और अब उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही है। अभियोक्त्री यानी याचिकाकर्ता-1 ने याचिकाकर्ता-2 के साथ अपने विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। उपरोक्त तथ्यों और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में दिए गए कानून के मद्देनजर, यह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अनिवार्य निष्कर्ष निकलता है कि आक्षेपित एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन न तो कानून के आधार पर और न ही तथ्यों के आधार पर उचित है।

12. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार किए जाने योग्य है।

13. तदनुसार, इसे **स्वीकार** किया जाता है।

14. दिनांक 07.06.2024 को प्रथम सूचनादाता-प्रतिवादी-4 गुड्डी देवी द्वारा दर्ज कराई गई और धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0479/2024 के रूप में पंजीकृत आक्षेपित एफआईआर (पुलिस स्टेशन-गुलरीहा, जिला-गोरखपुर) (रिट याचिका का अनुलग्नक-1) रद्द की जाती है।

17 मार्च, 2026

विनय

(लक्ष्मीकांत शुक्ला, न्यायमूर्ति) (राजीव मिश्रा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"